न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 32/2025
जीसीएमएस नं. : 2025/115

प्रार्थी :–		**अप्रार्थी :–**
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा	**बनाम**	श्री मुकेश तिवारी/ कन्हैयालाल तिवारी, बलरा, गोपाल गंज बिहार, हाल निवास सिन्टेक्स मील के पिछे लेबर कोलोनी, ठिकरीया, बांसवाडा (राज.)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री भूपेन्द्र जैन अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 07–05–2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.07.2025 को पुलिस चौकी खान्दु कोलोनी से एएसआई श्री अब्दुल हकीम द्वारा जिला रसद कार्यालय बांसवाडा में कान्सटेबल भेजकर के.बी मॉल के सामने खान्दु कोलोनी नहर के पास स्थित अवैध रिफलिंग की सूचना देने पर मौके पर पुलिस चौकी खान्दु कोलोनी के कान्सटेबल तथा अवैध गैस रिफलिंग करने वाले श्री मुकेश/ कन्हैयालाल तिवारी की उपस्थिति में एएसआई अब्दुल हमीद की मौजुदगी में दुकान/ गोदाम का ताला खुलवाकर श्री लाल शंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरो से व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो में गैस (एलपीजी) की अवैध रिफलिंग करना पाया गया। मौके पर अवैध रिफलिंग करने का कृत्य मुकेश तिवारी/ कन्हैयालाल तिवारी निवासी बलरा, गोपालगंज बिहार द्वारा राजू बंजारा के मालिकाना हक वाले सीमेन्ट चद्दर वाले कमरे में किया जा रहा था। दुकान/ गोदाम पर अवैध रिफलिंग कार्य में प्रयुक्त 2 मोटर, ट्यूब पाईप मय रेग्युलेटर, बांसुरी, तौलने हेतु प्रयुक्त वेईंग मशीन, आदि पाए गए। जांच में मौके पर 5 व्यवसायिक एवं 10 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण गैस रिफलिंग की कार्य करना पाया गया। [illegible] सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

क्र. स.	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	ऑयल कंपनी	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	004854	HP Gas	32.900	18.900	14.000
2	005494 T	HP Gas	37.000	19.100	17.900
3	176869 E	HP Gas	19.200	19.200	0.000
4	003398 T	Bharat Gas	32.500	19.300	13.200
5	063850 U	HP Gas	13.450	6.600	6.850
6	068644 T	Bharat Gas	29.600	15.800	13.800
7	066368 I	Bharat Gas	29.300	15.500	13.800
8	506878 S	HP Gas	30.000	15.700	14.300
9	2795 E	HP Gas	29.800	15.500	14.300
10	051660 E	HP Gas	29.700	15.600	14.100
11	66636 T	HP Gas	29.600	15.400	14.200
12	5149 S	HP Gas	30.100	15.900	14.200
13	209780	HP Gas	30.100	15.900	14.200
14	2179 I	HP Gas	17.100	15.600	1.500
15	303626	HP Gas	15.800	15.700	0.100

श्री मुकेश तिवारी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर बडी संख्या में घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण एवं रिफलिंग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 5 व्यवसायिक व 10 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग/ अवैध रिफलिंग करना पाये जाने एवं द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही गैस सिलेण्डर नियम 2016 के नियम 43 का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 5 व्यवसायिक एवं 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 मोटर, ट्यूब पाईप मय रेग्युलेटर, बांसुरी, तौलने हेतु प्रयुक्त वेईंग मशीन को जब्त किया जाकर शहिद रामचन्द्र गैस एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बंशीलाल/ नानजी को सुपुर्दगी में [illegible] गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधि[illegible] द्वारा प्रा[illegible] [illegible] धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्त[illegible]ार जप्त 5 व्यवसायिक एवं 10 घरेलू गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सिलेण्डर मय 2 मोटर, ट्यूब पाईप मय रेग्युलेटर, बांसुरी, तौलने हेतु प्रयुक्त वेईंग मशीन को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 04.09.2025 को अप्रार्थी की ओर से श्री भूपेन्द्र जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 15.10.2025 को अप्रार्थी ने उनके अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही कर गैस सिलेण्डर, मोटर ट्यूब पाईप मय रेग्यूलेटर, बांसूरी वगैरह को जब्त कर राजसात करने की कार्यवाही की है वह गैर कानूनन है। अप्रार्थी मील के पास कमरा किराया लेकर रहता है तथा पडौसी मीलो में काम करने वाले मजदुर वगैरह ने अपने गैस सिलेण्डर को रिफील हेतु रख गए थे। उक्त टंकीयां सम्बन्धित उपभोक्ताओ की है तथा उक्त तथ्य अप्रार्थी द्वारा मौके पर ही सम्बन्धित अधिकारी को बता दिया गया था, फिर भी श्रीमान् प्रवर्तन निरीक्षक महोदय ने धारा 6 ए (1) आवश्यक कार्यवाही कर इन्हे राजसात करने हेतु गैरकानूनन रिपोर्ट पेश की है। अप्रार्थी ने उक्त टंकियों के संबंध में कोई अपराध नही किया है और इस कारण धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। अप्रार्थी ने सदभावनापूर्ण सम्बन्धित उपभोक्ताओ के गैस सिलेण्डर अस्थायी रुप से वहां रखवाये थे। इनके मालिक उक्त उपभोक्तागण है। इस संबंध में अप्रार्थी का कोई अपराध करने का आशय नही रहा है और इन्हे किसी प्रकार जप्त सरकार नही किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उक्त टंकियो को सीज किया गया है जो गैर कानूनन है और अवैध रुप से सीज की गई कार्यवाही के आधार पर इस प्रकरण में कोई कार्यवाही कानूनन पोषणीय नही है। अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त प्रकरण को निरस्त कर कार्यवाही ड्रोप करना फरमावे व उक्त संबंधित उपभोक्तागण को उनके सिलेण्डर वापस सुपूर्द करना फरमावे। बहस के दौरान अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराया।

विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान कथन किया कि दिनांक 23.07.2025 को पुलिस चौकी खान्दु कोलोनी से एएसआई श्री अब्दुल हकीम द्वारा जिला रसद कार्यालय बांसवाडा में कान्सटेबल भेजकर के.बी मॉल के सामने खान्दु कोलोनी नहर के पास स्थित अवैध रिफलिंग की सूचना देने पर मौके पर पुलिस चौकी खान्दु कोलोनी के कान्सटेबल तथा अवैध गैस रिफलिंग करने वाले श्री मुकेश/ कन्हैयालाल तिवारी की उपस्थिति में एएसआई अब्दुल हमीद की मौजुदगी में दुकान/ गोदाम का ताला खुलवाकर श्री लाल शंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई मौके पर मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरो से

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो में गैस (एलपीजी) की अवैध रिफलिंग करना पाया गया। मौके पर अवैध रिफलिंग करने का कृत्य मुकेश तिवारी/ कन्हैयालाल तिवारी निवासी बलरा, गोपालगंज बिहार द्वारा राजू बंजारा के मालिकाना हक वाले सीमेन्ट चद्दर वाले कमरे में किया जा रहा था। दुकान/ गोदाम पर अवैध रिफलिंग कार्य में प्रयुक्त 2 मोटर, ट्यूब पाईप मय रेग्युलेटर, बांसुरी, तौलने हेतु प्रयुक्त वेईंग मशीन, आदि पाए गए। जांच में मौके पर 5 व्यवसायिक एवं 10 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण गैस रिफलिंग का कार्य करना पाया गया। श्री मुकेश तिवारी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर बडी संख्या में घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण एवं रिफलिंग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 5 व्यवसायिक व 10 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग/ अवैध रिफलिंग करना पाये जाने एवं द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही गैस सिलेण्डर नियम 2016 के नियम 43 का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 5 व्यवसायिक एवं 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 मोटर, ट्यूब पाईप मय रेग्युलेटर, बांसुरी, तौलने हेतु प्रयुक्त वेईंग मशीन को जब्त किया जाकर शहिद रामचन्द्र गैस एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बंशीलाल/ नानजी को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 5 व्यवसायिक एवं 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 मोटर, ट्यूब पाईप मय रेग्युलेटर, बांसुरी, तौलने हेतु प्रयुक्त वेईंग मशीन को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रुप से यह कथन कि अप्रार्थी ने सदभावनापूर्ण सम्बन्धित अन्य उपभोक्ताओ के गैस सिलेण्डर अस्थायी रुप से अपने वहां रखवाये थे। इनके मालिक उक्त उपभोक्तागण है। इस सन्दर्भ में अप्रार्थी द्वारा सम्बन्धित उपभोक्ताओ का न तो कोई विवरण पेश किया न ही कोई दस्तावेज पेश किए है। पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा दिनांक 23.07.2025 में मौके पर से पाये गये 5 व्यवसायिक एवं 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 मोटर, ट्यूब पाईप मय रेग्युलेटर, बांसुरी, तौलने हेतु प्रयुक्त वेईंग मशीन को जब्त किया है, जिस पर अप्रार्थी [illegible] अप्रार्थी स्वयं द्वारा भी अपने जवाब के बिन्दु सं. 1 पर उपरोक्तानुसार [illegible] जब्त किया जाना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी [illegible] व्यवसायिक एवं 10 घरेलू गैस सिलेण्डरो

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

का अवैध भण्डारण करना, 2 मोटर, ट्यूब पाईप मय रेग्युलेटर, बांसुरी, तौलने हेतु प्रयुक्त वेईंग मशीन से अवैध गैस रिफलिंग का आदि कार्य किया जाना पाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 5 व्यवसायिक एवं 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 मोटर, ट्यूब पाईप मय रेग्युलेटर, बांसुरी, तौलने हेतु प्रयुक्त वेईंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 15–10–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner